प्रपत्र–23.1

<u>परियोजना का नामः–</u> राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– देवलगढसारी
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक के निर्माण हेतु **0.350 हे0 वन पंचायत भूमि** एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **देवलगढसारी** द्वारा दिनांक 25/02/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **देवलगढसारी** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत तोली
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 25/02/2019 ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – देवलगढसारी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गिरधरप्रसाद देवली	
2-	गिरीश चन्द्र देवली	
3-	उद्धव प्रसाद देवली	
4-	राकेश चन्द्र देवली	
5-	दिनेश चन्द्र देवली	
6-	दीपक चन्द्र	
7-	सुनील प्रसाद	
8	प्रेमवल्लभ देवली	
9-	प्रकाश चन्द्र देवली	
10	भगवतीप्रसाद देवली	

प्रधान ग्राम पंचायत तॉली
दिनांक
जि0 ख0 (चमोली)

ह0/प्रधान
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड **कर्णप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग** के नवनिर्माण हेतु **0.350 हे0 वन पंचायत भूमि , मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0, अर्थात कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग**, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग, दिनांक 27/05/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **जी0आर0 बिनवाल** उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ~~जी0आर0 बिनवाल~~ देवानन्द उपजिलाधिकारी.. अध्यक्ष

2– श्री ~~.....~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी–...–सदस्य

3– श्री ....–सहायक समाज कल्याण अधिकारी–.............–सदस्य / सचिव

4– श्री ....–बी0डी0सी0 क्षेत्र –...सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कर्णप्रयाग
जिला –,चमोली
दिनांक 26/08/2019

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.370 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा डिम्मर के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, ...द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.370 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कर्णप्रयाग
जनपद –चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated-----**16.9.2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.370** hectares of Vanpanchayet land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "**Karanparyag-Nauti-Paithani to Dewalgarsari Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction " Dewalgarsari, in **Karanparyag** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.410 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Dewalgarsari ' sub- Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
चमोली

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिला वन संरक्षण अधिकारी
चमोली (गोपेश्वर)

ANNEXURE….

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date ..16.09.19.. at time..3:00 PM..at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.860 hect for the construction of motor road **"Karanparyag-Nauti-Paithani to Dewalgarsari Motor road"** and Vanpanchayet land 0.370 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same fo admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated:..16/9/19..

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिला अधिकारी
चमोली

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली (गोपेश्वर)